भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3895
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थी

3895. श्री रामभुआल निषादः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुल्तानपुर जिले में दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कौशल विकास, स्वरोजगार, वित्तीय समावेशन, सतत आजीविका किस प्रकार प्रदान की गई है;

(ख) ऐसी योजना का दायरा बढ़ाकर जिले के प्रत्येक गांव को कब तक इस मिशन से जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि उक्त योजना का लाभ प्रत्येक लक्षित व्यक्ति को मिले?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के अंतर्गत सामुदायिक संवर्गों का कौशल एवं क्षमता संवर्धन कर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुल्तानपुर सहित सभी 75 जिलों में विभिन्न आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। समूह सखी, कृषि आजीविका, लखपति दीदी, बैंक सखी, बीसी सखी, आईसीआरपी-एफएनएचडब्ल्यू, एफपीओ और उत्पादक समूहों जैसे कैडरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर 64 विभिन्न मॉडलों में एक महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और बैंकों के साथ ऋण लिंकेज पर केंद्रित हैं। राज्य नियंत्रक प्रशिक्षण परिणामों की निगरानी करते हैं और सफल प्रशिक्षुओं के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। आकांक्षी विकास ब्लॉकों में प्राथमिकता वाली कार्रवाई और प्रगति समीक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत जुलाई 2015 से सुल्तानपुर जिले को गहनता से कवर किया गया। अब तक लगभग 88% गांवों को इस मिशन के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। पात्र परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना एक सतत प्रक्रिया है और यह तब तक जारी रहती है जब तक कि पूर्णतः समूह में शामिल न हो जाएं।

(ग) यूपीएसआरएलएम के अंतर्गत, मिशन समुदाय-संचालित, विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण को कार्यान्वित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ प्रत्येक लक्षित व्यक्ति तक पहुंचे। समूह सखी जैसे प्रमुख जमीनी स्तर के संवर्ग और ग्राम संगठन (वीओ) स्तर पर सामाजिक कार्य समिति (एसएसी) के सदस्य स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने, पात्र परिवारों की पहचान करने, जागरूकता बढ़ाने और अधिकारों को सुगमता से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ब्लॉक और जिला स्तर पर नियमित निगरानी और समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रगति का आकलन करने और कमियों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया मांगी जाती है। गहन सामाजिक एकजुटता और सूचना एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां, जिनमें डीएवाई-एनआरएलएम नारे के साथ गांव स्तर पर दीवार लेखन शामिल हैं, समुदायों को सूचित करने और उन्हें एकजुट करने में मदद करती हैं। गरीबों की सहभागिता पहचान (पीआईपी) प्रक्रिया समावेशी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करती है, जिसमें सामुदायिक संस्थाएं लाभार्थी सूचियों को सत्यापित करने और अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी परिवार वंचित न रह जाए।